



**KRISHI VIGYAN KENDRA-KOTPUTLI, JAIPUR**  
**(DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION)**  
**SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY**  
**JOBNER**



**Lt. Col (Dr.) S.S. Shekhawat**  
**Senior Scientist & Head**

**Email pc.kvk.gonera@sknau.ac.in**  
**Mobile No. 9408660365**

No. KVK/KTP/2023/172

Date: 07/10 /2023

**Limited Tender Notice**

Sealed limited tender are invited from the firms to supply of 12.5 hp submersible pump ISI mark with its accessories. The tender will be accepted up to 18.10.2023 at 12.00 AM and will be open on the same day at 12.30 AM by the committee in this office. The undersigned has all rights to accept/reject any tender without assigning the reason there of approximate purchasing items can be increase or decrease.

S.No.	Name of items	Specification
1.	12.5 hp open well motor ISI mark and it accessories	As per tender format

*Sufeen Singh*  
Senior Scientist and Head

Copy to :-

- 1.The Director, DEE, SKNAU, Jobner
2. The Incharge, CIMCA, SKNAU, Jobner for upload on University website.
3. Name of firms M/S
4. Convener/Member, tender committee

*Sufeen Singh*  
Senior Scientist and Head



**KRISHI VIGYAN KENDRA-KOTPUTLI, JAIPUR**  
**(DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION)**  
**SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY**  
**JOBNER**



**Lt. Col (Dr.) S.S. Shekhawat**  
**Senior Scientist & Head**

**Email pc.kvk.gonera@sknau.ac.in**  
**Mobile No. 9408660365**

**प्रपत्र "अ"**

**12.5 HP submersible ISI mark and it Accessories हेतु सीमित निविदा प्रारूप एवं अन्य शर्तें:**

S. No.	Name of item with specification	Requirement	Rate Per including all taxes peace/ft /Mtr (Rs.)
1.	Submersible pump Set 12.5 HP (ISI mark)	1	
2.	HDEP Delivery pipe 63mm (ISI Mark)	270/ft	
3.	3 core flat Electric connection cable (ISI mark)	290/ft	
4.	PP Rope 20mm (ISI mark)	290/ft	
5.	Starter panel 20-32 Amp (ISI mark)	one	
6.	GI Pipe 2"x9"	1	
7.	Flench 2" GI	1	
8.	Nut Bolts & Rubber Sheet	As per req	
9.	Bore Cover 9"	1	
10.	Clamp 2"	1	
11.	Electric Insulation Tape	As per req	
12.	Installation Charges	-	
			Total

**12.5HP Submersible pump ISI mark and it Accessories**

- सीमित निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम -68 एवं वित्र विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तें निविदा का भाग मानी जाएगी।
- सीमित निविदा प्रपत्र के साथ सलग प्रपत्र "अ" में **12.5 hp submersible pump and its accessories** हेतु निविदाता अपनी दरें दर्शाए। कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा, कोटपूतली के प्रपत्र के प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
- सीमित निविदा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी, जिस **12.5 hp submersible pump and its accessories** के क्रय के लिए सिमित निविदा लिफाफे पर अंकित होनी चाहिए।
- फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलो का भुगतान संबंधित फर्म द्वारा संतोषप्रद होने की पुष्टि होने पर ही किया जायेगा।
- सीमित निविदाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। कार्य आपूर्ति संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
- सीमित निविदाता बोली प्रपत्र की शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।
- सीमित निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कांट छांट/ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए।
- निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने/आपूर्ति नहीं करने पर राज्य सरकार क सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमो व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार राशि बमूल की जाएगी।
- भुगतान संबंधित निविदादाता को बैंक खाते में ऑनलाइन या बैंक द्वारा सीधा ही किया जायेगा।
- सफल निविदादाता के समय पर सामान आपूर्ति नहीं करने पर या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधोहस्ताक्षर को यह अधिकार होगा की अनुमोदित फर्म द्वारा हर्जें खर्चें पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा क्रय अन्य फर्म से कर सके तथा पिछले आपूर्ति किये सामान का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- बोली प्रपत्र दिनांक 18.10.2023 को प्रातः 12:00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन दोपहर 12:30 बजे कमेटी के समक्ष खोले जायेंगे, देरी से प्राप्त निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- उपयुक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा सूचना एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्र विभाग राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.1.2015 के प्रावधान लागू होंगे।
- किसी भी उतपन्न विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कोटपूतली (जयपुर) राजस्थान होगा

*Sufjan Singh*

वरिष्ठ वैज्ञानिक व अध्यक्ष  
कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा, कोटपूतली

मेने/ हमने उपरोक्त सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पड लिया हे एवं समझ लिया हे तथा में/ हम उपयुक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूंगा/ रहेंगे

निविदा दाता के हस्ताक्षर